

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/विस/स्था./2015

रायपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश, कार्यालय आने एवं जाने के समय को दर्ज करने के लिये बायोमेट्रिक्स अटैण्डेंस सिस्टम लागू किया गया है और इस संबंध में दिनांक 9.9.2015 को कार्यालय आदेश क्र. 1455/विस/स्था./2015 जारी भी किया है, जिसमें प्रक्रिया बतायी गई है ।

उपरोक्त पैरा में उल्लेख अनुसार उपस्थिति, अवकाश आदि का अभिलेख सुव्यवस्थित हो, इसलिये यह आवश्यक है कि कार्यालय में उपस्थिति के समय एवं कार्यालय से बाहर जाने एवं आने तथा सायंकाल कार्यालय समय समाप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बायोमेट्रिक्स सिस्टम का प्रयोग किया जाये ।

कृपया कार्यालय आदेश का पालन सुनिश्चित करें ताकि अभिलेख विधिवत् संधारित हो और अधिकारियों/कर्मचारियों को असुविधा न हो ।

आदेश से,



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक


1571

विस/स्था./2015

रायपुर, दिनांक : 14/10/15

प्रतिलिपि :-

1. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निज सहायक को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
3. सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर पालनार्थ ।
4. सर्वर कक्ष ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा